राजा मानसिंह तोमर
संगीत एवं कला विश्वविद्यालय
ग्वालियर, मध्यप्रदेश

Raja Mansingh Tomar
Music and Arts University
Gwalior, Madhya Pradesh

क्र....195.......प्रवेश/रा.मा.तो.वि.वि/2021 ग्वालियर, दिनांक 02/03/21

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष
रा.मा.तो.संगीत एवं कला महाविद्यालय,
ग्वालियर
एवं
समस्त प्राचार्य
सम्बद्धता प्राप्त संगीत एवं कला महाविद्यालय
मध्यप्रदेश

विषय :– **दिनांक 10.02.2021 को आहुत विशेष समिति बैठक में की गई अनुशंसाओं के संबंध में।**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 10.02.2021 को आहुत विशेष समिति द्वारा नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों के आवेदन में नामांकन एवं विद्यार्थी के प्रथम वर्ष उत्तीर्ण उपरांत एम.पी.ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से महाविद्यालय परिवर्तमन संबंधी प्रकरणो पर विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिये गये–

01. नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों के आवेदन में ऑनलाइन नामांकन शुल्क भुगतान होने के उपरांत कोर्स/कक्षा/विषय में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
02. यदि किन्हीं विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष उपरांत एम.पी.ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से महाविद्यालय परिवर्तन कराना चाहते हैं, तो महाविद्यालय परिवर्तन करने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को पूर्ण होने के उपरांत ही संबंधित विद्यार्थियों का स्थानातंरण संभव हो सकेगा। (संलग्न – महाविद्यालय परिवर्तन करने की प्रक्रिया के चरणों की प्रति)

संलग्न :– **उपरोक्तानुसार।**

Rajawat
प्रवेश प्रभारी

क्र....196.......प्रवेश/रा.मा.तो.वि.वि/2021 ग्वालियर, दिनांक 02/03/21

प्रतिलिपि :–

1. माननीय कुलपति महोदय, रा.मा.तो.वि.वि. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2. कुलसचिव, प्रशासन विभाग, रा.मा.तो.वि.वि. ग्वालियर।
3. परीक्षा प्रभारी, रा.मा.तो. संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

Rajawat
प्रवेश प्रभारी

स्वरांग परिसर, नीडम रोड़, नाका चन्द्रवदनी चौराहा ग्वालियर (म.प्र.)–0751–4031934 फैक्स नं0 0751–4031934 निवास–0751–2442800

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कलाविश्वविद्यालय, ग्वालियर

//महाविद्यालय परिवर्तन करने की प्रक्रिया के चरण//

01. महाविद्यालय परिवर्तन करने हेतु विद्यार्थी अपना आवेदन संबंधित प्राचार्य, महाविद्यालय/विभागाध्यक्ष से forward कराकर विश्वविद्यालय के प्रवेश शाखा में प्रस्तुत करेंगे।
02. उक्त विद्यार्थी जिस महाविद्यालय में स्थानातंरण चाहता है उस महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं के लेटर हेड पर संबंधित विद्यार्थी की सम्पूर्ण जानकारी (प्रवेश/नामांकन प्रति) के साथ सत्यापित एवं प्रमाणित कर अपनी सहमति विश्वविद्यालय की प्रवेश शाखा को उपलब्ध करायेंगे।
03. उक्त विद्यार्थी जिस महाविद्यालय से स्थानांतरण चाहता है उस महाविद्यालय के प्राचार्य संबंधित विद्यार्थी की TC (Trancfer Certificate) एवं NOC की एक–एक छायाप्रति विश्वविद्यालय के प्रवेश शाखा को उपलब्ध करायेंगे।
04. उक्त चरणों के पूर्ण होने के उपरांत ही विश्वविद्यालय की प्रवेश शाखा द्वारा स्थानांतरण प्रकरण की स्वीकृति उपरांत ए.पी.ऑनलाइन के माध्यम से स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण कराने के उपरांत ही प्रकरण को परीक्षा विभाग को उपलब्ध करायेंगे।